न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 361/2016/डिक्री

1. प्रदीपसिंह पिता प्रहलादसिंह
2. प्रभुलाल पिता बक्षु दरोगा
3. बद्रीलाल पिता बक्षु दरोगा
4. मागीलाल पिता देवकिशन उर्फ देवा खारोल
   सभी निवासी पहूंनी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. जोधसिंह पिता जवानसिंह राजपुत
2. जोरावरसिंह पिता जवानसिंह राजपुत
3. प्रतापसिंह पिता जवानसिंह राजपुत
4. हिम्मतसिह पिता जवानसिंह राजपुत
   सभी निवासी पहूंनी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राशमी
दिनांक 16.06.2016 प्रकरण सं. 62/2012

उपस्थित – 1. श्री श्यामलाल दायमा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री भारतभूषण प्रधान – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट – 1 से 4

निर्णय दिनांक– 25.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने एक राजस्व वादपत्र अपीलार्थीगण के विरूद्ध संयुक्त स्वरूप मे इन अभिकथनो के साथ संस्थित किया कि राजस्व ग्राम पहूंनी पटवार हल्का रेवाडा की सरहद मे अवस्थित खसरा संख्या 439 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 440 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 441 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 442 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के खातेदारी की कृषि दर्ज है जो आबादी पहूंनी से जुडवा मौजुद है। जिस पर वादीगण अपना कब्जा होना बताते हुए बाडो के रूप मे उपयोग उपभोग किया जाना वादपत्र मे उल्लेख किया है। बाडे आबादी क्षैत्र पहूंनी से लगे होने से प्रतिवादीगण मकान बनाने हेतू खरीदना चाहते है। वादीगण द्वारा विक्रय करने से इंकार करने पर जबरन बेदखल करना चाहते है। वादपत्र मे वादी/रेस्पोडेन्टस ने यह भी अंकित किया कि पहले भी

प्रतिवादी/अपीलार्थीगण ने हमाने द्वारा पत्थरगढी करानी चाही तो लोक सेवको की उपस्थिति मे पत्थरगढी नही करने दी और जबरन इन बाडो वाली जमीन पर निर्माण करने की गरज से दिनांक 13/04/2012 को उनकी भूमि मे प्रतिवादीगण निर्माण सामग्री डालने लगे है इसलिये उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय मे सस्थित होने से पंजीबद्ध होने के बाद प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की तलबी होने पर संयुक्त रूप से ही दिनांक 12/09/2012 को जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि वादपत्र मे वादीगण ने सभी अभिकथन अपने कब्जे काश्त की होने गलत, बनावटी एवं भ्रामिक तौर पर पेश किये है। नवीन बन्दोबस्ती रिकार्ड वाली आराजी नम्बर 439,440,441,442 की पूर्ववर्ती साबिक बन्दोबस्ती खसरा संख्या 188 मी को पूर्व जागीरदार स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह जी ठिकाना पहूंनी से उनकी जागीर की भूमि का हिस्सा होने से सभी अपीलार्थीगण के पूर्वजो ने फर्दन–फर्दन लिखतम पट्टा विक्रय विलेखो के माध्यम से प्राप्त कर कब्जा हमारे पिता/दादाजी ने अलग–अलग बाडो के रूप मे कब्जा मौके पर वर्तमान मे भी मौजुद है, वादी ने झूठा दावा पेश किया है।

2. प्रतिवादपत्र अपीलार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12/09/2012 को अलग पेश कर निवेदन किया कि स्व0 ठाकुर साहब लक्ष्मणसिंह से करीब 60 वर्ष पूर्व हमारे दादाजी ने क्रय किया है जो हमारी खातेदारी की भूमि से जुडवा भूमि होकर हमारे कब्जे मे चली आ रही है जिसका उल्लेख संवत् 2021 से 2024 के माध्यम से सम्पन्न होने वाले नवीन भू–प्रबन्ध रेकार्ड मिलान खसरा के कॉलम संख्या 25 के सामने क्रमशः (प्रतिवादी/अपीलार्थी) खसरा संख्या 439 रकबा 18 बिस्वा पर कब्जा होने का उल्लेख किया हुआ मौजुद है। अन्य अपीलार्थी का भी कब्जा इसी भांति मिलान खसरा प्रपत्र नवीन भू–प्रबन्धीय रेकार्ड संवत् 2021 से 2024 मे कॉलम संख्या 25 मे दर्ज किया हुआ मौजुद है। सभी का '' विशेष विवरण '' के कॉलम मे इंतकाल नम्बरान 118 दिनांक 11/11/1964 के जरिये दर्ज किये जाने का उल्लेख भी अंकित किये गये है। अन्य का 12,13,14 अंकित करने का उल्लेख है मिलान खसरा व अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां पत्रावली मे पेश की जा चुकी है। इसी क्रम मे खसरा संख्या 188 मीन साबिक मे से 18 बिस्वा भूमि क्रय दिनांक 13/12/1963 को जागीरदार पहूंनी के दर्ज खातेदारी वाली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदी है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता बक्षु दरोगा ने भी जागीरदार पहूंनी से संवत् 2008 मिती पोष बीद 12 को क्रय की है जो बाडो के लिए क्रय की गयी है जिसका उल्लेख

प्रतिवादपत्र मे अंकित किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात मौजुद होते भी निर्णय मे कोई उल्लेख न करके वादपत्र वादी/रेस्पोडेन्टगण डिक्री करने मे वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। दिनांक 03/08/2016 को पटवारी से निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुयी। दिनांक 28/08/2016 को यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। फिर भी विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16/06/2016 खारीज फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे विवादग्रस्त खसरा नम्बर 439 किस्म बीड प्रथम, 440,441 तथा 442 किस्म बाडा कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा राजस्व ग्राम पहूंनी तहसील राशमी मे स्थित है। जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी मे है। अपंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 13/12/1963 के माध्यम से भूमि का स्थानान्तरण हुआ। इसका पुराना खसरा नम्बर 188 है जिसके नये खसरे 439,440, 441 तथा 442 है। अधीनस्थ न्यायालय मे केवल स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश हुआ है। दस्तावेज पेश करने के अवसर पर प्रतिवादी/अपीलान्ट ने दस्तावेज मिलान खसरा तथा 2 अपंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रस्तुत किये थे जिसके आधार पर वह मौके पर काबिज है। उक्त मिलान खसरा के कॉलम संख्या 25 मे तीन साल से कब्जा होना उल्लेखित किया हुआ है। इसी तरह से अन्य व्यक्तियो के नाम से कब्जे का भी उल्लेख किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड के अनुसार साक्ष्य लिये बिना कैम्प मे वाद निर्णित किया गया है जो विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट को दिनांक 12/08/2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हो गई है तथा अपील दिनांक 26/07/2016 को पेश की गई जिसमे देरी का कारण बारिश होना बताया है लेकिन कोई सबूत नही दिया गया है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मयाद अधिनियम दिन प्रतिदिन की देरी का स्पष्टीकरण नही दिया गया है। जिसके कारण अपील मयाद बाहर होने के कारण खारीज की जाने योग्य है। यह विवाद खसरा नम्बर 188 के मीन नम्बर की रजिस्ट्री को लेकर है। दिनांक

13/03/1962 को पंजीबद्ध बहनामे के आधार पर दिनांक 01/11/1962 को इंतकाल खुल गया जिसका जमाबन्दी मे भी इंतकाल खुल चुका है। कृषि भूमि के मामलो मे यह विधि का सिद्वान्त है कि कब्जा टाईटल के साथ चलता है। दिनांक 09/06/2011 को धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमे हमारा कब्जा माना गया है। उक्त आदेश की कोई अपील भी नही की गई है। इसके अलावा 1962 मे खोले गये इतंकाल की भी अपील नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने आरआरडी 2006 पेज 366, आरआरडी 1981 पेज 87 की नजीरे पेश की गई।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यो एवं रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण मे तनकियात कायम की जाकर रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णित की जानी थी जो नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार होने एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 62/2012 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16/06/2016 अपास्त करते हुए प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़